


8/5/18

पुत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मण्डली मण्डल
में पेश हुई। वकील पक्षकारान। पक्षकारान ऊब नहीं।
पुत्रावली का अवलोकन राजस्व लोक अदालत की भाषण
ले किया गया। अनंत किया गया। वारी द्वारा 24/4/17
के बाद तलवाना पेश नहीं किया गया है। वारी को
तलवाना पेश करने हेतु अनेक अवसर दिए गाने
ले वारी को भी तलवाना पेश नहीं किया है। वारी
वारी द्वारा अदालत वाद आदेश 9 निषेध 5 में खारिज
किया जाता है। पुत्रावली के लाल सुमार देकर फर्म
नाम लाल देकर है। निषेध मजरी आत राजस्व लोक
अदालत कैम्प कोर्ट मण्डली मण्डल में शुनाषा गया।


NAD'18 जे. भंडारी/प. सिंघ

सहायक कलक्टर
सांभर लेक